न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 117/2025

श्री रवि कुमार पालीवाल पुत्र हर प्रसाद पालीवाल निवासी बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 4.02.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आॅनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

जिले में आपके जिला परिषद कार्यालय के अधीन आने वाली श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के अंतर्गत पूरे जिले भर में संचालित समस्त ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोई का नाम, उसका पता ओर प्रत्येक के सितम्बर माह में कटे कूपनों की संख्या प्रमाणिक प्रति चाहता है। अतः रसोई, उसके सम्मुख उसका पता, पंचायत समिति और सिंतबर माह में कटे कूपनों की संख्या की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराकर अनुग्रहित करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 2453 दिनांक 18.12.2025, 2511 दिनांक 31.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 26—27 दिनांक 05.01.2026 से जवाब प्रति प्रेषित कर जवाब में प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन वर्तमान अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर अन्य ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 26—27 दिनांक 05.01.2026 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 25 दिनांक 05.01.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है का उल्लेख है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर * टोंक (राजस्थान) *

783